P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-4* December- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में चुनाव एवं मतदान व्यवहार

मिथलेश कुमारी
व्याख्याता
राजनीति विज्ञान विभाग,
जे.डी.एम. महाविद्यालय, गुढ़ा कटला,
दौसा ,राजस्थान

सारांश

कहा जाता है कि कोई भी मुद्रा उतनी ही मूल्यवान होती है जितना लोग उसे मानते हैं। ठीक यही बात राजनीतिक व्यवस्था पर भी लागू होती है। लोगों का विश्वास अथवा वैधता ही वह आधार मूल्य है जिस पर लोकतांत्रिक प्रणाली काम करती है। निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी राजनीतिक प्रणाली की वैधता का एक महत्वपूर्ण तत्व हैं। विश्व में ऐसे अनेक उदाहरण है जहां निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की भगादारी के अभाव के कारण निर्वाचित सरकारों को वैधता नहीं मिल सकी, जिसके कारण उन देशों में गंभीर राजनीतिक संकट पैदा हुए। परंतु भारत लोकतंत्र की सफलता का एक ऐसा उदाहरण है, जहां चाहे वयस्क मताधिकार का प्रश्न हो या मतदान की आयु में कमी करना या फिर पंचायत स्तर पर स्थानीय शासन की संस्थाओं की जीवंत भागीदारी, हमें जीवंत लोकतंत्र के प्रमाण दिखाई देते है। 16 वीं लोकसभा के चुनाव में स्वतंत्रता के बाद से अब तक मतदान के सबसे अधिक प्रतिशत ने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को उजागर किया है।

मुख्य शब्द : चुनाव, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार।

प्रस्तावना

चुनाव व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण होती है। प्रत्येक शासन व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया के महत्व को स्वीकार किया जाता है, किंतु निर्वाचन प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली मशीनरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार है। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव होते हैं, अपितु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह हैं कि चुनाव किस भांति होते है, कितने निष्पक्ष होते है और आम मतदाता का निर्वाचन व्यवस्था का संचालन करने वाले अभिकरण की निष्पक्षता और ईमानदारी पर कितना विश्वास होता हैं तथा आम मतदाता स्वयं निर्वाचन व्यवस्था में कितनी भागीदारी निभाता है। भारत के संविधान निर्माता चुनावों के महत्व से भली–भांति परिचित थे इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान के अध्याय 15 में अनुच्छेद 324–329 तक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में चुनाव एवं मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया है। साथ ही उन क्षेत्रों के बारे में जानने का प्रयास किया गया है। जिन क्षेत्रों पर कम ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस शोध कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में चुनाव एवं मतदान व्यवहार के अध्ययन के लक्ष्य की पड़ताल करना रहा है तथा इस दिशा में ऐसे सुझाव दिये गये है जो सफल और सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना में सहयोग देते हैं और चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता एवं शुद्धता लाते हैं। यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव सुधार हेतु उठाए गए कदम क्रियान्वयन स्तर पर असफल क्यों हो जाते है? इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कौन है? क्या नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों का पतन उत्तरदायी है या कहीं क्रियान्वयन कर्ताओं में प्रतिबद्धता की कमी है? धन एवं आधारभूत साधनों का अभाव बाधक हैं या उसका उपयुक्त उपयोग न हो पाना बड़ा कारण है? भारत में मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन–कौन से है? तथा मतदाताओं के व्यवहार को सही दिशा में कैसे लाया जा सकता है? ये कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर तलाशने का काम प्रस्तुत शोध अध्ययन में किया गया है।

साहित्यावलोकन

भारत में चुनाव एवं मतदान व्यवहार के सन्दर्भ में किये गये इस शोध के महत्व, आवश्यकता, उद्देश्यों तथा शोध पद्धति का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस विषय पर लिखे गये साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण व मूल्यांकन किया गया है।

डी.एस.चौधरी एवं जी.के.कार ने अपनी पुस्तक 'इलेक्शंस एण्ड इलेक्ट्रॉल बिहेवियर इन इण्डिया' (1992) में भारत में प्रचलित चुनाव प्रणाली की विशेषताओं एवं कमियों के साथ ही मतदान व्यवहार का अध्ययन प्रस्तुत किया है तथा इस पुस्तक में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ–साथ मतदान व्यवहार एवं चुनाव प्रक्रिया को सुधारने क लिए कुछ सुझावों का भी विश्लेषण किया गया है।

प्रभा ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक 'चुनाव घोषणा–पत्रः सिद्धांत एवं स्थिति' (2006) में लोकसभा चुनाव एवं विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पूर्व राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले चुनाव घोषणा–पत्रों के स्वरूप सिद्धांत एवं उनकी क्रियान्विति सम्बंधी अध्ययन प्रस्तुत किया है।

बिपिन चन्द्र ने अपनी पुस्तक 'आजादी के बाद का भारत'(2009) में आजादी के बाद के भारत के सामाजिक, अर्थिक और राजनीतिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी हैं। इसमें समकालीन भारत की समस्याओं के रोचक विश्लेषण के साथ आजादी के बाद की अनेक प्रकार की समस्याओं से जुझते भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

चुन्नीलाल लालूभाई पारेख ने अपनी रचना 'एमीनेट इण्डियंस ऑन इंडियन पॉलिटिक्स' (2017) में भारतीय लोगों में अपने अधिकारों एवं राजनीति के प्रति बढ़ रही जागरूकता का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है।

राजीव रंजन द्वारा लिखित पुस्तक 'चुनाव, लोकसभा और राजनीति' (2000) में सन् 2000 तक के लोकसभा चुनावों से सम्बंधित सभी आंकड़ों के साथ ही भारत में निर्वाचन के इतिहास, प्रमुख राजनीतिक दलों के इतिहास, चुनावी मुद्दों, निर्वाचन क्षेत्रों, विगत पांच दशकों के राजनीतिक घटनाक्रम आदि का क्रमवार व शोधपरक वर्णन किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन द्वारा शोध विषय से सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। समय तथा अन्य परिस्थितियों की सीमाओं में रहते हुए जो साहित्य सुलभ हो पाये, उन्हीं की समीक्षा यहां की गई है।

अनुसंधान विधि

किसी भी शोध के वैज्ञानिक होने के लिए उसका मूल्य निरपेक्ष एवं वस्तुनिष्ठ होना अनिवार्य है जो शोध में अपनाई गई अनुसंधान प्रविधि से ही संभव हो सकता है। वर्तमान अध्ययन में वस्तुनिष्ठ एवं उच्च स्तरीय विश्वसनीयता लाने के लिए यथासंभव प्राथमिक एवं आवश्यक द्वितीय स्त्रोतों का उपयोग किया गया है। एक प्रश्नावली भी तैयार की गई है जिसके माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि मतदाताओं के व्यवहार को कौन–कौन से तत्व प्रभावित करते है। एकत्रित आंकड़ों का अवलोकन एवं विषलेषण करके वांछित निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं।

भारत में चुनाव प्रक्रिया

भारत में अब तक 16 आम चुनाव एवं अनेकों राज्य विधानसभा चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। ये सभी चुनाव सामान्यतया शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए है, लेकिन इसके साथ ही चुनाव पद्धति और चुनावों में कुछ ऐसी बातें देखने में आयी हैं, जिन्होंने जनता की चुनावों में आस्था को कम किया हैं। यदि उन्हें समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया, तो वे कालान्तर में चुनावों के प्रति आस्था को आघात पहुँचा सकती हैं। चुनावों में काले धन, हिंसा, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की प्रवृत्तियां निरन्तर बढ़ रहीं हैं। डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के अनुसार, ''हमारे संविधान ने आधुनिक उदारवादी दर्शन के सार तत्व सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया हैं, परंतु अभी इसे न्याय, स्वतंत्रता तथा क्षमता के उदात्त लक्ष्यों की सिद्धि का शासन बनाना शेष हैं। यदि हमें इस महत् तथा भव्य आदर्श को यथार्थ के धरातल पर लाना हैं, तो हमारे लिए यह आवश्यक हैं कि हम अपने निर्वाचन प्रक्रमों के वास्तविक स्वरूप तथा त्रुटियों एवं विकृतियों का परिचय प्राप्त करें और उनकी शुद्धता की रक्षा के लिए पृथक प्रयास करें।'' भारत में चुनाव एवं मतदान व्यवहार एक ऐसा जटिल मुद्दा है जिस पर जनता और न्यायपालिका लगभग एकमत हैं, किंतु भ्रष्टाचार के गर्त में गोते लगाते राजनीतीज्ञों के पकड़ वाली विधायिका इसके प्रतिकूल अपना अलग मत रखती है।

मतदान व्यवहार की अवधारणा

भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख पहलू के रूप में जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। जनता ने अपने मताधिकार में किस दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया है यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू है जो कि भारतीय लोकतंत्र को आम चुनाव के माध्यम से एवं राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता एवं निष्ठा बोध के द्वारा यह प्रतिपादित करने का प्रयास करता है कि भारतीय जनता की लोकतंत्र के प्रति आस्था, रूचि क्या है। वह कहां तक जागरूक है। इन सभी बातों को मतदान आचरण से जाना जाता है। मतदान आचरण का अर्थ है कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने में किन–किन बातों से प्रभावित होता है मताधिकार करने में कौनसे कारक व्यक्ति को प्रेरित करते है और कौन से कारक हतोत्साहित करते है और कौन से कारक व्यक्ति को एक विषेष उम्मीदवार या दल विषेष के पक्ष में मत देने के लिए प्रेरित करते है।

मतदान आचरण का अध्ययन बीसवीं सदी की ही प्रक्रिया है सर्वप्रथम फ्रांस में सन् 1913 में मतदान आचरण का अध्ययन किया गया। इसके बाद अमेरिका में दो विश्व युद्धों के बीच के काल में और ब्रिटेन में महायुद्ध के बाद मतदान आचरण का अध्ययन किया गया । भारत में द्वितीय आम चुनाव के बाद इस प्रकार के अध्ययनों को अपनाया गया है और अभी हाल के वर्षो में इस विषय पर प्रचुर साहित्य प्रकाषित हुआ जो अनुभाविक एवं वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षणों पर आधारित है।

मतदान मनोवैज्ञानिक तत्वों से प्रेरित एक गूढ़ राजनीतिक प्रक्रिया है जो अनेक आन्तरिक एवं बाहरी तत्वों से प्रभावित हाती है। स्वाभाविक रूप से मतदान व्यवहार के अध्ययन में अनेक कठिनाईयां आती है। सर्वप्रथम, एक क्षेत्र का मतदान व्यवहार दूसरे क्षेत्र के मतदान व्यवहार से भिन्न होता है, इसलिए किसी एक क्षेत्र के मतदान व्यवहार के आधार पर इस सबन्ध में किसी

प्रकार के सामान्य निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता। विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान प्रवृतियों के लम्बे समय तक अवलोकन के आधार पर ही किन्हीं परिणामों पर पहुंचने की आशा की जा सकती है। द्वितीय, भारत जैस विविधता वाले देश में केवल कुछ निश्चित शीर्षकों के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में मतदान व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता । अतः कठिनाई आती है कि किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाये और किन शीर्षकों के अन्तर्गत यह अध्ययन किया जाये। इस संबंध में तृतीय और सबसे प्रमुख कठिनाई यह है कि जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाता है, उनमें से अनेक अध्ययनकर्ता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते और जो व्यक्ति उत्तर देने की क्षमता रखते है वे भी जान बूझकर ठीक–ठाक उत्तर नहीं देते। इन सबके अतिरिक्त साक्षात्कार के अन्तर्गत भाषा की कठिनाई भी सामने आती है।

उपर्युक्त कठिनाईयों को पूर्ण रूप से किया जाना तो संभव नही है आंषिक रूप से ये कठिनाईयां तभी दूर हो सकती है जबकि अध्ययनकर्ता संबंधित क्षेत्रों की राजनीति, संस्कृति और आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित हो और उसके द्वारा लम्बे समय तक किये गये अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जायें।

भारत में चुनाव एवं मतदान व्यवहार के सकारात्मक पक्ष व असफलताओं के संबंध में विद्वान लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों और मतदाताओं के विचार जानने के लिए अनुभवमूलक अध्ययन में सभी जाति, धर्म, वर्ग के मतदाताओं को शामिल किया गया है। अध्ययन को अनुभवमूलक बनाने के उद्देश्य से एक प्रश्नावली तैयार की गई है जिसके माध्यम से चुनाव व मतदान व्यवहार से संबंधित प्रश्न जोड़े गये हैं। शोधकर्ता ने इन प्रश्नावलियों के संबंध में जानकारी मतदाताओं से संवाद करके प्राप्त की हैं। स्वयं शोधकर्ता की उपस्थिति से बहुत से ऐसे तथ्य सामने आये जो डाक द्वारा प्रश्नावली भेजे जाने से जाने– समझे नहीं जा सकते थे।

उत्तरदाताओं ने चुनाव सुधारों में शिक्षा, पारदर्शिता एवं राजनीतिक जागरूकता को प्राथमिकता दी है। साथ ही अधिकतर उत्तरदाताओं का मानना है कि चुनाव सुधार लागू होने से मतदाताओं की चुनावों में भागीदारी बढ़ी हैं मतदाता अब अपने मतदान का प्रयोग निर्भीकता एवं ईमानदारी से करते हैं लेकिन ये सभी परिवर्तन आशा के अनुरूप नहीं है, तथा बहुत कुछ और किये जाने की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग एवं न्यायपालिका द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों से निर्वाचन व्यवस्था में हुए सुधार निश्चय ही एक प्रगतिषील कदम है। इससे लोगों की चुनावों में भागीदारी बढ़ी है। किंतु आज भी चुनावों में बाहुबल, धनबल, भाई–भतीजावाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता हैं। परिणामस्वरूप व्यवस्थापिका में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग पहुँच रहे हैं जो देश की विधायी प्रक्रिया को अपने निहित स्वार्थो के लिए प्रयोग में लाने का प्रयास करते है।

कई उत्तरदाताओं ने माना कि राजनीतिक दलों एवं राजनेताओं के असहयोग ने मतदान व्यवहार के सुधार में बाधा उत्पन्न की है अशिक्षा, बेरोजगारी, जाति, क्षेत्रवाद, धनबल, भुजबल एंव मतदाताओं में जागरूकता की कमी भी मतदान व्यवहार में सुधार के मार्ग में बाधक है। बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने स्वाकार किया कि चुनाव सुधार एवं मतदान व्यवहार में सुधार के सन्दर्भ में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्रमुख सुझाव

उपरोक्त विश्लेषण से यह निश्चित ही सिद्ध होता है कि भारत में चुनाव एवं मतदान व्यवहार में सुधार का विषय विकास के मार्ग पर अग्रसर तो हो चला है परंतु सुदृढ़ एवं स्वच्छ लोकतंत्र हेतु स्वच्छ निर्वाचन व्यवस्था का स्वप्न पूर्ण होना अभी शेष है।

अतः इस दिशा में वर्तमान शोध निष्कर्षो तथा शोधकर्ता के स्वयं के अनुभव के आधार पर चुनाव सुधार एवं मतदान व्यवहार में सुधार की दिशा में वांछित सफलता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं–

1. चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय स्थायी आयोग हो, जिसमें 3 से 5 तक स्थायी सदस्य हो चुनाव आयुक्त इसका अध्यक्ष हो।
2. निर्वाचन आयोग का व्यय संसद द्वारा स्वीकृत न होकर भारत की संचित निधि पर भारित होना चाहिए।
3. निर्वाचिकीय विवादों का न्यायिक निर्णयों द्वारा समाधान नहीं हो क्योंकि यह विलम्बकारी है इसलिए निर्वाचकीय विवादों के समाधान हेतु स्वतंत्र और पृथक संवैधानिक निर्वाचकीय न्यायधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए।
4. निर्वाचन आयोग से पद निवृत्त होने वाले आयुक्तों को भविष्य में किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त न किया जाये।
5. मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति उच्च सदन से नहीं बल्कि निम्न सदन से की जानी चाहिए।
6. राजनीतिक दलों को अपने टिकट जाति, धर्म, क्षेत्र तथा धनबल के आधार पर वितरित नहीं किये जाने चाहिए।
7. राजनीतिक दलों को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। तथा इन्हें मिलने वाले विदेशी चंदे पर भी पाबंदी लगानी चाहिए।
8. जहां तक सम्भव हो, राज्य विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। तथा निर्वाचन अभियान की अवधि को ओर कम किया जाना चाहिए।
9. किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
10. आचरण–संहिता को एक विधि का रूप दे देना चाहिए और उसका उल्लंघन होने पर दण्ड दिया जाना चाहिए।
11. यथासंभव त्रुटिरहित मतदाता सूची की व्यवस्था की जाए। तथा बहुउद्देशीय पहचान पत्र प्रत्येक मतदाता के लिए अनिवार्य हों।

12. मतदान केन्द्रों पर वीडियोंग्राफी तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यंत्रों का प्रयोग किया जाए।
13. चुनावों में मिडिया की भूमिका काफी बढ़ चुकी है। चुनावों में मीडिया पेड न्यूज प्रसारित करता है इस पर भी अंकुष लगाने हेतु कानून बनाना चाहिए।
14. मतदान व्यवहार के संबंध में स्पष्ट व प्रभावी कानून के साथ–साथ मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की आवष्कयता है।
15. मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारकों यथा–धनबल, भुजबल, भाई–भतीजावाद, जाति, धर्म पर चुनाव आयोग को अंकुश लगाना चाहिए।
16. आजादी के साठ साल बाद भी भारत में मतदान प्रतिशत 60 से 70 के बीच बना हुआ है इसे बढ़ाने हेतु चुनाव आयोग को प्रयास करना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र का तात्पर्य सभी के शासन से हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु ऑनलाईन मतदान प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
17. राजनीतिक दलों को भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु प्रयास करना चाहिए।
18. मतदाताओं को अपनी नापसंद के उम्मीदवारों को खारिज करने का अधिकार "राईट टू रिजेक्ट" प्रदान किया जाना चहिए।
19. महिला मतदाताओं के लिए अलग से मतदान केन्द्र बनाए जाने चाहिए ताकि वे स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान कर सके।
20. मतदान व्यवहार के बदलने के लिए सार्थक पहल सरकार एवं प्रबुद्ध लोगों द्वारा की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

उपर्युक्त सभी सुझाव तुरंत क्रियान्वित हो जावें, यह अपेक्षा नहीं है। वास्तव में आवश्यकता अभी और प्रतिबद्वता की है। शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली और मतदान व्यवहार के हर क्षेत्र में परिवर्तन के चिह्न देखे जा सकते हैं इस परिवर्तन को सतत् और स्थायी बनाने के लिए अधिक प्रयासों और कटिबद्धता की आवश्यकता है। अतएव, लोकतंत्र की दृढ़ता के व्यापक संदर्भ में भारत में चुनाव एवं मतदान व्यवहार में सुधार इस परियोजना के मूल में है। भारतीय लोकतंत्र को अपनी कमजोरियों तथा विकृतियों से मुक्त होनें के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। हमारे राजनेताओं ने अनेक सार्वजनिक मंचों से दृढ़तापूर्वक इन सुधारों की पैरवी की है। जिससे आशा बलवती हुई है। लोकतंत्र की जडों को खोखला बनाने वाले भ्रष्टचार, धनबल और बाहुबल के राक्षसों से निपटना जरूरी हों गया है। कुछ भी हो देश को अपने नैतिक आत्मबल का प्रयोग कर इस रोग की सही औषधि भले की कडवी हो, ढूंढनी पड़ेगी, पीनी पड़ेगी। राबर्ट फ्रास्ट के शब्दों में – "अभी मीलों दूर जाना है रूकने से पहले मीलों दूर जाना है।"

वस्तुतः चुनावों को सशक्त करना देश को सशक्त करना होगा। क्योंकि स्वच्छ व निष्पक्ष चुनावों से लोकतंत्र सशक्त होता है, अतः चुनाव सुधार व मतदान व्यवहार में सुधार की धारा को लगातार जारी रखना आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *चौधरी, डी.एस, कार.जी.के., इलेक्षंस एण्ड इलेक्ट्रॉल बिहेवियर इन इण्डिया, कांति पब्लिकेशंस, दिल्ली, 1992, पृष्ठ 18*
2. *ठाकुर, प्रभा, चुनाव घोषणा–पत्रः सिद्धांत एवं स्थिति, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2006, पृष्ठ 50*
3. *चन्द्र, बिपिन : आजादी के बाद का भारत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2011, पृष्ठ 65*
4. *रंजन, राजीव : चुनाव, लोकसभा और राजनीति, ज्ञानगंगा, दिल्ली, 2000, पृष्ठ 45*
5. *सुन्दररियाल, आ.बी.,दिघे, शरद, चुनाव सुधार एवं प्रक्रिया, श्री पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1997, पृष्ठ 8*
6. *गोस्वामी भालचन्द्रः भारत में चुनाव सुधारः दशा और दिशा, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 1999, पृष्ठ 82*
7. *कोठारी, रजनी, कास्ट पॉलिटिक्स इन इण्डिया, आरियन्ट लांगमैन, दिल्ली, 1970, पृष्ठ 70*
8. *बटलर, डी., पॉलिटिकल चेंज इन ब्रिटेन, लन्दन, 1969, पृष्ठ 200*
9. *मोहन, अरविन्दः पूरी तरह मोदी की सरकार, दैनिक भास्कर, 27 मई 2014, पृष्ठ 4*
10. *जैन, धर्मचन्द, भारतीय लोकतंत्र, प्रिंटवैल, जयपुर, 2000, पृष्ठ –10*
11. *नांरग, ए.एस, भारतीय शासन एवं राजनीति, गीतांजली पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ 302*
12. *पारेख, चुन्नीलाल लालूभाई, 'एमीनेट इंडियंस ऑन इंडियन पॉलिटिक्स', फॉरगॉटन बुक्स, 2017 , पृष्ठ 60–69.*